2017/0000 2

अपीलीय अधिकरण एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जगरूप सिह यादव आई.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 11/2017 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. मालीराम स्वामी पुत्र श्री भरतादास
2. सीतादेवी पत्नी मालीराम स्वामी

जाति स्वामी निवासीयान गौतम नगर, रामपुरा, तहसील थाना शाहपुरा, जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. छाजूराम स्वामी पुत्र श्री मालीराम
2. दयानन्द स्वामी पुत्र श्री मालीराम

जाति स्वामी निवासीयान गौतम नगर, रामपुरा, तहसील थाना शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 17.01.2017 न्यायालय अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा प्रकरण संख्या 46/2016 ब उनवानी मालीराम व अन्य बनाम छाजूराम व अन्य ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला (राज.)

उपस्थित:–

1. अपीलार्थी उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 4-11-2019

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत भरण पोषण दिलाने का प्रस्तुत किया जिसमें वर्णितानुसार अपीलार्थीगण बीमार रहते है तथा हमारी आजीविका का कोई स्त्रोत नही है। अपीलार्थी सीता देवी हार्ट अटेक की बीमारी से ग्रसित है जिसके 7–8 हजार रूपये प्रति माह खर्चा लगता है तथा छोटा पुत्र वैभव स्वामी पढाई कर रहा है। दूसरे पुत्र ओम प्रकाश व रोहिताश प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी कर रहें है। अपीलार्थीगण के प्रत्यर्थी दोनों पुत्र रोजगार लग कर अच्छे पैसे कमाते है। प्रत्यर्थीगण की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण का भरण पोषण नहीं करते है ना ही दवाईयों का खर्चा देते है। गाली गलौच व मारपीट करने पर उतारू रहते है तथा मेरे बाडे व मकान पर दीवार खींच कर अपना कब्जा कर अपीलार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। प्रत्यर्थीगण पहले से ही अपीलार्थीगण की पुत्री की शादी का खर्चा व भात पेज का खर्चा भी नहीं देते हे। इसलिए प्रत्यर्थीगण से भरण पोषण दिलाने के आदेश फरमावे, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने परिवाद को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण बीमार रहते है तथा हमारी आजीविका का कोई स्त्रोत नही है। अपीलार्थी सीता देवी हार्ट अटेक की बीमारी से ग्रसित है जिसके 7–8 हजार रूपये प्रति माह खर्चा लगता है तथा छोटा पुत्र वैभव स्वामी पढाई कर रहा है। दूसरे पुत्र ओम प्रकाश व रोहिताश प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी कर रहें है । अपीलार्थीगण के प्रत्यर्थी दोनों पुत्र रोजगार लग कर अच्छे पैसे कमाते है। प्रत्यर्थीगण की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण का भरण पोषण नहीं करते है ना ही दवाईयों का खर्चा देते है। गाली गलौच व मारपीट करने पर उतारू रहते है तथा मेरे बाडे व मकान पर दीवार खीच कर अपना कब्जा कर अपीलार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। प्रत्यर्थीगण पहले से ही अपीलार्थीगण की पुत्री की शादी का खर्चा व भात पेज का खर्चा भी नहीं देते हे। इसलिए प्रत्यर्थीगण से भरण पोषण दिलाने के आदेश फरमावें।

5. प्रर्त्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थीगण के पांच पुत्र है जो कि पांचों ही रोजगार पेशा व्यक्ति है। जिनमें से दो पुत्र रोहिताश व ओम प्रकाशस शाहपुरा स्थित सैनिक गैस सर्विस में कार्यरत है तथा अन्य पुत्र वैभव 23 वर्ष भी पूर्णतया शिक्षित व्यक्ति है । जो कि ट्यूशन पढा कर अच्छी आमदनी अर्जित करता है। तीनों पुत्र अपीलार्थी के साथ ही निवास करते है। इस तथ्य को अपीलार्थी ने छिपाया है। अपीलार्थी ने जमीन प्रत्यर्थीगण को बिना बताये स्वयं ने ही बेचान की है और उससे प्राप्त रकम भी अपीलार्थी ने स्वय के काम में ले ली है, क्योंकि सन् 1989 में प्रत्यर्थीगण तो नाबालिग थे। अपीलार्थी ने पुश्तैनी जमीन बेच कर सारा प्रतिफल स्वयं के पास रख लिया तथा उसे अपने तीनों छोटे पुत्रों में मोह रखते है और उनके बहकावे मे आ कर ही अप्राथीगण के विरूद्व बेजा कानूनी कार्यवाही करते रहते है जहां तक पैत्रिक मकान के बंटवारे का सवाल है वह भी अपीलार्थीगण ने परिवार के लोगों की सहमति से स्वेच्छा से ही बंटवारा किया था। उक्त बंटवारे को किये जाते समय भी अपीर्थी ने उन पर चढे हुऐ कर्जे का भी बंटवारा कर दिया था। अपीलार्थीगण किसी भी गम्भीर बीमारी से पीडित नहीं है। अपीलार्थी संख्या 1 अपने क्षेत्र में प्रसिद्व हलवाई है जे कि अच्छी कमाई अर्जित करते है तथा अपीलार्थीगण के तीनों छोटे पुत्र रोहिताश, ओम प्रकाश व वैभव स्वयं रोजगार पेशा व्यक्ति है। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया अपीलार्थीगण झूंठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश किया गया था, जो मान्य अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया गया है। वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलार्थीगण वास्तव अन्य पुत्रों के बहकावे में आकर प्रत्यर्थीगण को पैतृक मकान से बाहर निकालने के षडन्त्र में शामिल हो गये है। प्रत्यर्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त परिवाद प्रस्तुत किया थां जो अपीलाधीन आदेश से खारिज हो चुका है। अतः अपील खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

7. अपीलार्थीगण बुजुर्ग है और प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण के पुत्र है। इसलिए प्रत्यर्थीगण का माता पिता को भरण पोषण राशि दिये जाने का दायित्व बनता है। न्यायहित में अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते हे। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. प्रत्यर्थीगण 1 व 2 आदेश पारित तिथि से प्रति माह 1000–1000 रूपये बतौर भरण पोषण अपीलार्थीगण को अदा करें। प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी माता–पिता से किसी प्रकार का लडाई झगडा, मारपीट व अभ्रद व्यवहार नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को पालना सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 4-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)